

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 752 / 2013
संस्थान दिनांक 10.12.2013

आबकारी विभाग, वृत्त अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

मुकेश पिता मानिया कोली, आयु 32 वर्ष
निवासी-बायड़ीपुरा ग्राम हरिबड़,
थाना अंजड़, जिला - बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 30.11.2015 को घोषित)

1. आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 264 / 2013 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 10.12.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 09.09.2013 को समय प्रातः 08:55 बजे, ठीकरी रोड़, ग्राम मण्डवाड़ा कुण्डी नदी के पुल पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक केन में 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा वाहन हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल क्रमांक एम. पी. 46 बी. ए. 1275 में परिवहन करते हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.09.2013 को आबकारी वृत्त अंजड़ के उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बायड़ीपुरा का मुकेश मोटरसाईकिल से एक केन में हाथ भट्टी की अवैध मदिरा ले जाने वाला है। सूचना पर विश्वास कर पंच साक्षीगण जगदीश और आबकारी आरक्षक इरफान को तलब कर उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा ग्राम मण्डवाड़ा में कुंडी नदी के पुल पर नाकाबंदी की गई, कुछ समय पश्चात् अभियुक्त मुकेश मोटरसाईकिल से आता दिखाई दिया जिसे रोककर उसका नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश निवासी हरिबड़ होना बताया तथा उसे रोककर साक्षियों के समक्ष मोटरसाईकिल को चेक करने पर उसमें रस्सी से बंधी हुई थैली में एक प्लास्टिक की केन जिसमें तरल पदार्थ होना पाया जिसका रोक पंचनामा प्रदर्शपी 1 का बनाया। आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान ने अभियुक्त की तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। अभियुक्त मुकेश से जप्तशुदा तरल पदार्थ का परीक्षण पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया। अभियुक्त से जप्तशुदा पदार्थ की नाप का मापन पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया। अभियुक्त से जप्तशुदा लगभग 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर प्रदर्शपी 5 का जप्ती पंचनामा बनाया। अभियुक्त को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 6 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। साक्षियों के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 7 बनाया तथा प्रकरण में साक्षियों के समक्ष आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा जप्तशुदा मदिरा तथा अभियुक्त को मय मोटरसाईकिल लाकर अपराध क्रमांक 264/2013 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 09.09.2013 को समय प्रातः 08:55 बजे, ठीकरी रोड़, ग्राम मण्डवाड़ा कुण्डी नदी के पुल पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक केन में 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा वाहन हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी. ए. 1275 में परिवहन करते हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.1), आबकारी आरक्षक इरफान अली (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 09.09.13 को वह आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा ग्राम मण्डवाड़ा में स्टॉफ के साथ गश्त कर रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त मुकेश, निवासी ग्राम हरिबड़ मदिरा लेकर आ रहा है तो वह स्टॉफ के साथ ग्राम मण्डवाड़ा में स्थित पुल पर गया तथा वहाँ से निकलने वाले जगदीश को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा उससे साक्ष्य हेतु सहयोग मांगा तो उसने स्वीकृति प्रदान की, कुछ देर में एक मोटरसाईकिल आती दिखाई दी, जिसे रोका और साक्षी ने बताया कि वह मुकेश है। पूछने पर भी उसने अपना नाम मुकेश बताया। उसकी हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल पर रस्सी से एक थैली बंधी हुई थी जिसका रोक पंचनामा प्रदर्शपी 1 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त जिस मोटरसाईकिल पर बैठा था उसका क्रमांक एम.पी. 46 बी.ए. 1275 था। अभियुक्त के शरीर पर पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त अन्य कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई तथा उक्त मोटरसाईकिल पर रस्सी से बंधी हुई थैली में एक प्लास्टिक की केन में तरल पदार्थ होना पाया था, जिसका तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मौके पर प्लास्टिक की केन में भरे हुए तरल पदार्थ का परीक्षण साक्षियों के समक्ष किया जो मटमैला रंग का था और सूंघने पर हाथ भट्ठी की विशेष गंध आ रही थी और चखने पर हाथ भट्ठी मदिरा का स्वाद आ रहा था तथा लिटमस पेपर पर डालने पर हल्का गुलाबी रंग नजर आ रहा था और जॉच एवं अनुभव के आधार पर उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्ठी मदिरा होना पाई गई थी जिसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही हाथ भट्ठी मदिरा का माप साक्षियों के समक्ष किया और उसे 12 लीटर होना बताया जिसका तथा हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल, थैली एवं रस्सी का जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा नक्शा मौका पंचनमा प्रदर्शपी 7 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी.ए. 1275 के पंजीकृत स्वामी के संबंध में

जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की थी तथा वाहन मालिक मोहन पिता भीकाजी निवासी हरिबड़ को वाहन की जानकारी देने के संबंध में प्रदर्शपी 8 का सूचना पत्र दिया था तो उसने यह बताया था कि अभियुक्त दिनांक 08.09.2013 को उसकी मोटरसाईकिल अपनी माता का ईलाज कराने हेतु ले गया था जिसका पंचनामा प्रदर्शपी 9 का बनाया था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मुखबिर से सूचना मण्डवाड़ा के थौड़ा सा पहले प्राप्त हुई थी। साक्षी को उसने कोई सूचना पत्र नहीं दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिया से लगभग 100 मीटर की दूरी पर शासकीय मदिरा दुकान स्थित है और वहाँ पर बैठे कर्मचारियों को उसने साक्ष्य के लिए नहीं बुलवाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 5 के पंचनामों पर कांट-छांट है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरक्षक इरफान ने उसके दबाव में आकर पंचनामों पर हस्ताक्षर किये हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य प्रकरण बनाया है अथवा उसने अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी।

9. इरफान अली असा 2 ने भी अभियुक्तों को पहचानने तथा दिनांक 09.09.2013 को परिवारी के साथ गश्त पर जाने तथा मुखबिर से सूचना के आधार पर अभियुक्त से मोटरसाईकिल एवं उसकी थैली में रखी हुई 12 लीटर देशी मदिरा जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 से 7 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाईकिल काले रंग की थी और फरियादी ने उक्त मदिरा की नाम बाल्टी एवं मीटर से की थी। इस साक्षी ने भी स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास लोगों के मकान हैं लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह फरियादी के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

10. जप्ती पंचनामों के दूसरे साक्षी जगदीश का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया तथा उसे अदम पता बताया गया। ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया तो जप्तीकर्ता अधिकारी नफीस एहमद खान तथा आबकारी आरक्षक के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है चूँकि उक्त दोनों ही साक्षी एक ही विभाग से संबंधित होने के कारण अभियोजन में हितबद्ध प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि जिस साक्षी मोहन की मोटरसाईकिल पर अभियुक्त द्वारा उक्त मदिरा का परिहवन करना बताया गया है और उक्त मोहन के कथन जिस साक्षी गेलसिंह के सामने आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा लिये गये हैं उन दोनों का भी परीक्षण अभियोजन की ओर से

नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि उक्त साक्षियों को प्रस्तुत किये गये परिवाद में साक्षी के रूप में नामांकित भी नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं होने से भी परिवादी का मामला शंकास्पद हो जाता है और अभियुक्त को आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त मुकेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक केन में 12 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे तथा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 बी.ए. 1275 दिनांक 20.03.2014 को उसके पंजीकृत स्वामी मोहन पिता हीराजी, आयु 27 वर्ष निवासी-ग्राम हरिबड़ थाना अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी